

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2025

सा.का.नि.(अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनासंख्या 9/2025-एकीकृत कर (दर) जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 642 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित है, के,-

- (i) पृष्ठ 2, पंक्ति 11 में, "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले " पढ़ें
- (ii) पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में, "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताज़ा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले " पढ़ें
- (iii) पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में, "पनीर, छेना या पनीर के अलावा" के स्थान पर, "चीज़, छेना या पनीर के अलावा" पढ़ें ;
- (iv) पृष्ठ 4, पंक्ति 33 में, "साथी " के स्थान पर, "मेट" पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 23, पंक्ति 5 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की " के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;
- (vi) पृष्ठ 29, पंक्ति 18 में, "2500 रुपये प्रति जोड़ी से कम मूल्य के जूते" के स्थान पर, "जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो" पढ़ें;
- (vii) पृष्ठ 49, पंक्ति 7 में, "[रबर, रबर बैंड के अलावा]" के स्थान पर, "[इरेज़र, रबर बैंड के अलावा]" पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 50, पंक्ति 8 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की " के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

[फाइल संख्या: सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार